बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,कल्याण विभाग

संo–5 / निदेo(प्री–मैट्रिक छात्रo)–63–07 / 2016– 5771

प्रेषक,

(1) जितेन्द्र श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार।

(2) प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार
एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार।

सेवा मे,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (लेo एवं योo)

पटना, दिनांक– 08/10/2016

विषयः–प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत् वित्तीय वर्ष–2015–16 में वितरित राशि की जाँच कर यथोचित कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय, अनुदानित माध्यमिक विद्यालय एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा(सहायता प्राप्त), अनुदानित प्रस्वीकृत संस्कृत (सहायता प्राप्त) प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालयों में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रा सम्मिलित) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग I-X में नामांकित छात्र / छात्राओं के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है।

2– जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–2112 दिनांक–29 / 9 / 2016 के द्वारा अररिया जिले में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रवृति की राशि के वितरण में अनियमितता एवं गबन की सूचना प्राप्त हुई है। जाँच के क्रम में मूलतः निम्न अनियमिताएं परिलक्षित हुई हैः–

(i) विद्यालयों के द्वारा फर्जी छात्र / छात्रा का नामांकन दिखाकर अतिरिक्त आवंटन की माँग करना एवं जिला कल्याण कार्यालय द्वारा तद्नुसार राशि निर्गत कर दिया जाना।

(ii) विद्यालय शिक्षा समिति के खाते के स्थान पर किसी व्यक्ति विशेष का बैंक खाता जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना एवं जिला कल्याण कार्यालय द्वारा बिना सत्यापन कराए उन खातों में राशि निर्गत कर दिया जाना।

(iii) जिला कल्याण कार्यालय द्वारा कई ऐसे विद्यालयों को भी छात्रवृति की राशि आवंटित कर दिया जाना, जिन्होंने वस्तुतः इस राशि के लिए कोई अधियाचना भेजी ही नहीं थी।